एससीटीसी संख्या 861

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-2023)

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

से संबंधित

"नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों में मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

संबंधी

चौबीसवां प्रतिवेदन

24.03.2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

24.03.2023 राज्य सभा पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

24 मार्च 2023/ 4 चैत्र 1945 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.....(iii)

प्राक्कथन.....(v)

अध्याय एक प्रतिवेदन.....

अध्याय दो सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है .....

अध्याय तीन सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती .....

अध्याय चार सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....

अध्याय पांच सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

परिशिष्ट

एक. दिनांक 23.3.23 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य – लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी #
4. श्री गुमान सिंह दामोर
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री तापिर गाव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. कुमारी गोड्डेती माधवी
9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री प्रिंस राज
14. श्री ए. राजा
15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
16. श्रीमती संध्या राय
17. श्री जगन्नाथ सरकार
18. श्री अजय टम्टा
19. श्री रेबती त्रिपुरा
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

सदस्य – राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नीरज डांगी
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री समीर उरांव
25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
26. श्री राम शकल
27. डा. वी. शिवादासन
28. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री नबाम रेबिया

 # श्री संतोख सिंह चौधरी का निधन 14.01.2023 को हुआ और वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी.सी. चौल्डा	-	निदेशक
3.	सुश्री पूजा किर्थवाल	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित "नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों में मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका" विषय पर समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह चौबीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. इस प्रारूप प्रतिवेदन को दिनांक 23.3.23 को हुई समिति की बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया (परिशिष्ट – एक)।

3. इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में बांटा गया है:

एक. प्रतिवेदन

दो. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

तीन. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती।

चार. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।

पांच. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
24 मार्च, 2023
4 चैत्र, 1945 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के
कल्याण संबंधी समिति

अध्याय – एक

प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन ''नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों में मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका'' संबंधी उनके सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 तेरहवें प्रतिवेदन को दिनांक 5 अगस्त, **2022** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा पटल पर रखा गया। इसमें चार सिफारिशें/टिप्पणियां थीं। इन सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है:

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्रम सं. 1, **3** और 4)	कुल – 03 प्रतिशत – 75%
(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है। (क्रम सं. 2).	कुल - 01 प्रतिशत – 25%
(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। (क्रम सं. शून्य)	कुल - 00 प्रतिशत – 00
(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। (क्रम सं. शून्य)	कुल – 00 प्रतिशत – 00

1.3 समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन को अधिकतम महत्व प्रदान किया जाएगा। उन मामलों में जहां विभाग के लिए किन्हीं कारणों से सिफारिशों को अक्षरश: लागू करना संभव नहीं है, वहां इस मामले को कारण सहित समिति को

बताया जाए। आगे समिति इच्छा व्यक्त करती है कि अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पण को उन्हें यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

1.4 अब समिति उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराये जाने अथवा जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश सं. 1

1.5 समिति इस तथ्य पर जोर देना चाहती है कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा कक्षा IX-X में पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं को कम करना है, जबकि मैट्रिकोत्तर सहायता का उद्देश्य ऐसे छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्रमशः 10234, 10195, 10634, 9892 और 7436 थी। समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक के आंकड़े में लगातार गिरावट है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित योग्य छात्रों को शिक्षा में उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मासिक मौद्रिक लाभ से वंचित किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र की योजना के अंतर्गत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित निधियों का कम उपयोग किया जा रहा है। समिति को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की इतनी कम संख्या के कारणों से अवगत कराया जाए। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि मैट्रिक-पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के माता-पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने, विद्यालयी शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करने और विद्यालयी शिक्षा पूरी करने में अपने बच्चों की सहायता करने के प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े समान रूप से निराशाजनक हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अजा/अजजा लाभार्थियों की संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्रमशः 690, 818, 2012, 2121 और 852 थी। समिति इस बात से चिंतित है कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की तुलना में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े

कम हो गए हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अजा/अजजा बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना आगे की उच्च शिक्षा के लिए लाभार्थियों की आकांक्षाओं को बढ़ाने के संदर्भ में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अत:, समिति को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की तुलना में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारणों से अवगत कराया जाए। समिति को विभिन्न राज्यों में मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए।

सरकार का उत्तर

1.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अन्य के साथ-साथ मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) छात्रों को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।

(ii) उनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वह सरकारी विद्यालय अथवा सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए अन्यों के साथ-साथ मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

(i) छात्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।

(ii) उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वह सरकारी विद्यालय अथवा सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) में छात्रों के नामांकन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय रक्षा और अर्ध सैन्य कर्मियों के साथ-साथ फ्लोटिंग जनसंख्या और देश के दूरदराज के इलाकों और अविकसित स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए हैं।

केविसं में मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की कम संख्या के कारण इस प्रकार हैं:

(i) मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन अभिभावकों को दिया जाता है जो राज्य के मूल निवासी हैं। चूंकि, केंद्रीय विद्यालय में अधिकांश योग्य अभिभावक स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता है।

(ii) चूंकि केंद्रीय विद्यालय में ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनकी आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है और इस प्रकार वे योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

(iii) कुछ माता-पिता जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में रुचि नहीं दिखाते हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ओपन एंडेड हैं और बिना किसी ऊपरी सीमा के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने वाली मांग आधारित योजनाएं हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की कुल संख्या में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वृद्धि देखी गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें राज्य सरकारों की उच्च प्रतिबद्धता दायित्व के कारण संख्या में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाभार्थियों की घटती संख्या के संबंध में, उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत संशोधित योजना दिशानिर्देशों में छात्रों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियानों की परिकल्पना की गई है।

इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, जनजाति कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं सरकारी विद्यालयों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती हैं और लाभार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या
2017-18	2282254	1430568
2018-19	2630366	1449239
2019-20	2809542	1451369
2020-21	3068876	1345904
2021-22	3479969	1504305 (अनुमानित)

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या
2017-18	5925544	1932627
2018-19	6029970	1967029
2019-20	5280189	2066667
2020-21	6237819	1951614
2021-22	5273357	2076174 (अनुमानित)

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध एक** में दिया गया है।

समिति की टिप्पणी

1.7 समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की कम संख्या होने का कारण माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष होना बताया है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि चूंकि केन्द्रीय विद्यालयों में अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि मूल आय प्रति वर्ष 2.5 लाख को पार कर जाती है और मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए। समिति यह भी बताना चाहती है कि वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों में भारी कमी आई है और 2020-21 के दौरान अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या में भी मामूली कमी भी आई है।

सिफारिश सं. 2

1.8 समिति का सर्वसम्मत राय है कि मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता चिंता का प्रमुख विषय है क्योंकि इससे उन लोगों को लाभ होने की सबसे अधिक संभावना है जो इसके बारे में जागरूक हैं। इन समुदायों में सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े परिवारों को इस योजना से लाभान्वित होने की संभावना कम है यदि योजना के बारे में जागरूकता का स्तर कम रहता है। कई बार, अधिकांश लाभार्थियों को पूर्व-मैट्रिक/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। समिति का मानना है कि विद्यालय स्तर पर इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी की स्पष्ट कमी अभी भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में जारी है जो लक्षित समूहों तक मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की पहुंच को प्रभावित करती है। यहां तक कि इच्छुक छात्र इन छात्रवृत्ति योजनाओं की बुनियादी विशेषताओं/घटकों की जानकारी के अभाव में पूर्व-मैट्रिक/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का समय पर लाभ उठाने का अवसर खो देते हैं। लाभार्थियों में कभी-कभी मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति राशि के संवितरण के तरीकों और मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के नवीकरण की प्रक्रियाओं की जानकारी का समान रूप से अभाव होता हैं। इसलिए, समिति का यह मत है कि योजना की मूल विशेषताएं स्थानीय भाषा में ही उपलब्ध हो ताकि सभी स्तरों पर छात्र इस योजना का इष्टतम उपयोग कर सके। समिति यह सिफारिश करती है कि विद्यालय/शैक्षिक संस्थान जहां लक्षित लाभार्थियों का नामांकन किया गया है, संबंधित सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए

उन्हें मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, आवेदनों के प्रोसेसिंग संबंधी प्रक्रियाओं (वरीयता और चयन मानदंडों सहित) और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, चयन प्रक्रिया और मानदंड, चयनित छात्रों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ अंकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। । एक बार इस तरह गूढ़ जानकारी के लिए विद्यालय और शिक्षक अपने संरक्षण में छात्रों को इसे सांझा कर सकते हैं ताकि सभी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि केन्द्र को सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी विद्यालयों के साथ मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण ब्यौरे साझा करने का निदेश देना चाहिए ताकि इसे नियमित आधार पर पात्र छात्रों तक पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त जागरूकता के परिमाण को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यह विद्यालय जाने वाले किशोरों का ध्यान आकर्षित करने में बहुत अधिक प्रभावशाली है। समिति ने यह नोट किया है कि मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह बताया गया है कि राज्य सरकारों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें लाभार्थियों को प्रवेश के समय योजना में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सुविधा केंद्र खोलना छात्रवृत्ति पोर्टलों का विकास करना और क्षेत्र निरीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि करना शामिल है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्र को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट आमंत्रित करनी चाहिए। समिति पिछले पांच वर्षों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा निधि के उपयोग के संबंध में भी अवगत होना चाहती है, जिसमें इस संबंध में कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को रेखांकित किया गया है। समिति मंत्रालय के विचार भी आमंत्रित करना चाहती है कि क्या इन योजनाओं के अंतर्गत निधि आवंटन में और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों के बीच इसके दायरे को बढ़ाया जा सके। समिति उन मामलों के संबंध में भी अवगत होना चाहती है जिनमें विभिन्न राज्यों के बीच मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संवितरण के दौरान विसंगतियां पाई गई हैं। राज्य सरकार को यह सलाह दी जा सकती है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए पद्धति अपनाए।

सरकार का उत्तर

1.9 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे:

(i) प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नियमित विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं।

(ii) योजना के बारे में जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया मंचों जैसे ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से फैलाई जाती हैं।

(iii) मंत्रालय/विभाग के अधिकारी नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं और विभिन्न संस्थानों में छात्रों के साथ बातचीत भी करते हैं। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई और यूजीसी और राज्यों भर के विभिन्न विश्वविद्यालय उचित जागरूकता उद्देश्यों के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त, योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से जागरूकता सृजन/पहचान कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीब अनुसूचित जाति के सर्वाधिक छात्रों की पहचान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए सबसे गरीब छात्रों की पहचान करने के लिए सबसे पहले अनुसूचित जाति बहुल जिलों/ब्लॉकों/गांवों को लिया जा सकता है अथवा दसवीं अथवा बारहवीं कक्षा छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग अथवा अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं से उत्पन्न होने वाले डेटा जो विद्यालय छोड़ने वालों की दर को अथवा अन्य स्रोतों को दर्शाते हों, से ट्रेक किया जा सकता है।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को हर वर्ष मार्च/अप्रैल में अनुसूचित जाति के छात्रों की पहचान करने और नामांकन करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें परामर्श देने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रों को उनके कौशल के अनुसार पाठ्यक्रमों की पहचान करने में भी मदद की जाएगी।
- इस योजना के बारे में राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्डों, विद्यालय समितियों और माता-पिता-शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा और अन्य जन जागरूकता उपायों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार का न्यूनतम दुरुपयोग हो।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए नामांकन के लिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्थित अभियान चलाकर छात्रों की पहचान करने की आवश्यकता है और बारहवीं कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ गए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पारदर्शिता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और छात्रवृत्ति भुगतान को शीघ्रता से संसाधित करने के लिए योजना को ऑनलाइन लागू करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रमुख समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित करते हैं। लगभग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा तो अपने स्वयं के पोर्टल के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। अब तक, 18 राज्यों ने आवेदन आमंत्रित करने और छात्रवृत्ति के प्रसंस्करण, चयन और संवितरण का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के पोर्टल विकसित किए हैं। इन सभी राज्यों के पास स्थानीय भाषाओं में अपना पोर्टल है। ऐसे 13 छोटे राज्य हैं जिन्होंने अपना स्वयं का पोर्टल विकसित नहीं किया है लेकिन एनएसपी के माध्यम से योजना को लागू कर रहे हैं। एनएसपी वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी में है। समिति के निर्देशानुसार पोर्टल को अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए मामले को एनएसपी/एनआईसी के समक्ष उठाया गया है।

विभिन्न राज्यों की प्रगति/प्रस्तावों की समीक्षा के संबंध में, (i) प्रगति/निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें बुलाई गई हैं। (ii) उक्त मंत्रालय द्वारा संशोधित योजना को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी टीमों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और (iii) मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय टीम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करती है।

योजनाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि संशोधित योजना दिशानिर्देशों में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक मजबूत आईटी ढांचे की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, शेयरिंग पैटर्न को भी निश्चित प्रतिबद्ध दायित्व की अवधारणा से बदलकर 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) केंद्र-राज्य अनुपात कर दिया गया है। जहां तक केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी विद्यालयों के साथ मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण साझा करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निर्देश देने की समिति की सिफारिश है, योजनाओं के नोडल मंत्रालयों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाने हैं।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निधियों में वृद्धि के समिति के अवलोकन के संबंध में, यह उल्लेख करना समीचीन होगा है कि दोनों योजनाएं ओपन एंडेड और मांग

आधारित योजनाएं हैं जिसमें सभी पात्र लाभार्थी जिनके डेटा को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित किया गया है, को बिना किसी ऊपरी सीमा के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संशोधित दिशानिर्देश एक ऐसी प्रणाली प्रदान करते हैं जिसमें छात्र, राज्य के पोर्टल/एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अंतिम सत्यापित आवेदनों के आधार पर केंद्रीय शेयर जारी किया जाता है। वर्तमान में, सभी पात्र लाभार्थी, जिनके अंतिम रूप से सत्यापित डेटा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गए हैं, उन्हें धन की कमी के कारण केंद्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है।

इन छात्रवृत्तियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध दो** में दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केविसं द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए निम्नलिखित पहल भी की जा रही हैं:

i. केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों को हर वर्ष एनएसपी पोर्टल में पंजीकरण करने और योग्य छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। दिनांक 04.09.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों को इस संबंध में नवीनतम निर्देश **(अनुबंध तीन)** जारी किए गए हैं।

ii. केंद्रीय विद्यालयों को छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जिला प्रशासकों के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

iii. छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करने के लिए विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

iv. केन्द्रीय विद्यालयों को नोटिस बोर्ड और विद्यालय पुस्तकालय में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं, दिशानिर्देशों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

v. माता-पिता की जागरूकता के लिए माता-पिता शिक्षक बैठक (पीटीएम) में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

सरकार द्वारा केविसं के छात्रों को प्रदान की जाने वाली मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का राज्य-वार विवरण **अनुबंध चार** में है।

समिति की टिप्पणियां

1.10 समिति नोट करती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। हालांकि, इसके दायरे में आने वाले छात्रों की संख्या में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। समिति महसूस करती है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी शायद उस स्तर तक नहीं है जो लाभार्थियों की कमी को स्पष्ट करता है। समिति यह भी जानना चाहती है कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की निगरानी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है या नहीं। यदि नहीं, तो उसमें क्या कमियां देखी गई हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उसमें क्या सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं। समिति को विभिन्न निगरानी संबंधी क्रियाकलापों के निष्कर्षों से भी अवगत कराया जाए जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। समिति यह भी चाहेगी कि केन्द्र द्वारा निधियां जारी किए जाने के बाद प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए राज्यों के हिस्से के बारे में बताया जाए। इसके अलावा, उन मामलों के बारे में भी कारण सहित ब्योरा प्रदान करें जिनमें केंद्र और राज्य से धन उपलब्ध होने के बाद भी उसे लाभार्थियों के लिए जारी नहीं किया गया था।

सिफ़ारिश सं. 3

1.11 समिति ने यह नोट किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि 10 महीनों के लिए डे स्कॉलर्स और हास्टलर्स के लिए क्रमशः 225 रुपये

और 525 रुपये है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुस्तकों के लिए और डेस्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए तदर्थ अनुदान के रूप में क्रमश 750 रुपये और 1000 रुपये प्रति वर्ष की राशि भी वितरित की जाती है। डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए क्रमशः 13500 रुपये और 7000 रुपये वार्षिक है डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 9500 रुपये और 6500 रुपये वार्षिक हैं, 'स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 6000 रुपये और 3000 रुपये वार्षिक हैं और सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (पोस्ट क्लास X स्तर) के लिए गैर-डिग्री पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 4000 रुपये और 2500 रुपये वार्षिक हैं। इसी प्रकार डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 1200 रुपये और 550 रुपये मासिक है, डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 820 रुपये और 530 रुपये मासिक हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रमश: डे स्कालर्स और हॉस्टलर्स के लिए क्रमशः 570 रुपये और 300 रुपये मासिक हैं और सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (पोस्ट क्लास X स्तर) के लिए गैर-डिग्री पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 380 रुपये और 230 रूपये मासिक है। यह सूचित किया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2020 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करने के लिए लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी दिए गए वर्ष में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर की शिक्षा की मूल लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा किया जा सके। समिति आगे यह सिफारिश करना चाहती है कि संवितरित छात्रवृत्ति की राशि की समीक्षा करने और उस वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान शिक्षा की बढ़ी हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वार्षिक रूप से संशोधन की सिफारिश करने के लिए वार्षिक आधार पर राज्य स्तर पर समिति के गठन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। राज्य स्तरीय समिति को इसके अनुसरण में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया जाए। समिति यह उल्लेख

करना चाहती है कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थी आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे होते हैं और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि कमजोर होती है। छात्रवृत्ति राशि केवल एकमात्र चीज है जो उन्हें सहारा देती है और आर्थिक रूप से विषम परिदृश्य में शिक्षा प्राप्त करने की आशा प्रदान करती है। इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि दोनों योजनाओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए ताकि चल रही मुद्रास्फीति दरों के बराबर रखा जा सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने पर इस तथ्य को ध्यान में रखकर विचार करते हुए कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं और यह उचित समय है कि स्कूली बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सरकार का उत्तर

1.12 योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को हाल ही में क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कैबिनेट की मंजूरी से संशोधित किया गया है। हालांकि, मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए, दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के शैक्षणिक भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया।

जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप के दो घटक हैं, पहला, स्कूलों/कॉलेजों को देय ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क और दूसरा, छात्रों को देय मासिक वजीफा। स्कूलों और कॉलेजों को देय शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है और शुल्क घटक में किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए छात्रों को देय मासिक वृत्तिका को ईएफसी (ईएफ़सी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

समिति की टिप्पणियां

1.13 समिति यह जानकर निराश है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के शैक्षणिक भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया है कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिया जा रहा मासिक वजीफा 2025-26 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। समिति की राय है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

सुनिश्चित करने के लिए केवल ट्यूशन फीस घटक को ही शामिल करना पर्याप्त नहीं है। बुनियादी स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा, कई अन्य खर्चे हैं जैसे, सहायक पुस्तिका, अध्ययन सामग्री जिन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक भत्ता/वजीफा राशि से पूरा किया जाता है। समिति यह आग्रह करती है कि मंत्रालय प्रतिस्पर्धी शिक्षा परिदृश्य से निपटने के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक भत्ते/वजीफा की राशि में संशोधन करने पर सकारात्मक रूप से विचार करे और मंत्रालय समिति की सिफारिश के आलोक में वित्त मंत्रालय को नए प्रस्ताव प्रस्तुत करे और इसे पुरजोर ढंग से आगे बढ़ाएं।

सिफ़ारिश सं. 4

1.14 समिति का विचार है कि माता-पिता की आय सीमा (2.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा) को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाना चाहिए। समिति इस बात से निराश है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित अन्य छात्रों के लिए भी यही मापदंड लागू नहीं किए गए हैं। समिति मंत्रालय की इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई की निंदा करना चाहेगी। समिति का दृढ़ मत है कि माता-पिता की आय की अधिकतम सीमा बढ़ाने से सामान्य उम्मीदवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को समान रूप से लाभ होगा। इससे उन लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होगी जो मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आ सकते हैं। इस कदम से निश्चित रूप से छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या में विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए बजटीय आबंटन के उपयोग को मूर्त रूप दिया जाएगा क्योंकि योजना के दायरे के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। समिति इस प्रकार यह सिफारिश करना चाहती है कि माता-पिता की आय की अधिकतम सीमा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा पूरी निष्ठा से विचार किया जाए अन्यथा पात्र लाभार्थियों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना एक दूर का सपना साबित होगा।

सरकार का उत्तर

1.15 ओबीसी/ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत, छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता की आय सीमा केवल पीएमएस-एससी (पीएमएस-एससी) के बराबर 2.5 लाख

रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को हाल ही में क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में वित्त वर्ष 2025-26 तक योजना के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी से संशोधित किया गया है।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर, छात्रों के कल्याण के लिए समान योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों के अनुरूप रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है जहां परिवार की आय के मानदंड, छात्रवृत्ति की पात्रता, योजना की पहुंच, छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण आदि के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की समान योजनाओं की जांच की जा रही है।

समिति की टिप्पणियां

1.16 समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए माता-पिता के आय की सीमा को बढ़ाना अगला तार्किक कदम होना चाहिए। मंत्रालय ने अपने स्वयं के कार्रवाई किए गए उत्तरों में कहा है कि केवीएस में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कम होने का कारण यह है कि केवीएस में ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं जिनकी आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है और इस प्रकार वे योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए, प्रभावी रूप से माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि नहीं करना उस उद्देश्य को विफल कर रहा है जिसके साथ इस योजना की शुरुआत में कल्पना की गई थी। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय वर्ष 2025-26 तक इस सीमा को बनाए रखने के मामले में अड़ा नहीं रह सकता है। यह नुकसानदेह साबित होगा और अनेक छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। समिति एक बार फिर इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा महंगाई दर और अन्य विविध शैक्षिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए माता-पिता की आय सीमा को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र योजनाओं का लाभ उठा सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय दोनों को 2025-26 तक लागू प्री-मेट्रिक और पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन के लिए पूरक प्रस्तावों पर काम करना चाहिए ताकि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो उन्हें भी इन योजनाओं के तहत लाया जा सके।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1

समिति इस तथ्य पर जोर देना चाहती है कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा कक्षा IX-X में पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं को कम करना है, जबकि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य ऐसे छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अजा/अजजा लाभार्थियों की संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्रमशः 10234, 10195, 10634, 9892 और 7436 थी। समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक के आंकड़े में लगातार गिरावट हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित योग्य छात्रों को शिक्षा में उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मासिक मौद्रिक लाभ से वंचित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र की योजना के अंतर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित निधियों का कम उपयोग किया जा रहा है। समिति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की इतनी कम संख्या के कारणों से अवगत होना चाहेगी। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करने और स्कूली शिक्षा पूरी करने में अपने बच्चों की सहायता करने के प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े समान रूप से निराशाजनक हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अजा/अजजा लाभार्थियों की संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्रमशः 690, 818, 20124, 21212 और 852 थी। समिति इस बात से चिंतित है कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की तुलना में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े कम हो गए हैं। बल्कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अजा/अजजा बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

लाभार्थियों की आगे की उच्चतर शिक्षा के लिए जाने की आकांक्षाओं को बढ़ाने के संदर्भ में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार, समिति को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की तुलना में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अजा/अजजा लाभार्थियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारणों से अवगत कराया जाए। समिति को राज्यों की तुलना में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अजा/अजजा लाभार्थियों की संख्या के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा सकती है।

सरकार का उत्तर

2.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अन्य के साथ-साथ प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) छात्रों को अनुसूचित जाति का होना चाहिए।

(ii) उनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वह सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्यों के साथ-साथ मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

(i) छात्र अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।

(ii) उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वह सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

केंद्रीय विद्यालय संगठन में छात्रों के नामांकन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय रक्षा और अर्ध सैन्य कार्मिकों के साथ-साथ फ्लोटिंग जनसंख्या और देश के दूरदराज के इलाकों और अविकसित स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए हैं। ।

केविसं में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की कम संख्या के कारण इस प्रकार हैं:

(i) प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन अभिभावकों को दिया जाता है जो राज्य के मूल निवासी हैं। चूंकि, केवि में अधिकांश योग्य अभिभावक स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता है।
(ii) चूंकि केवि में ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनकी आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है और इस प्रकार वे योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
(iii) कुछ माता-पिता जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में रुचि नहीं दिखाते हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां ओपन एंडेड हैं और बिना किसी ऊपरी सीमा के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने वाली मांग आधारित योजनाएं हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की कुल संख्या में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वृद्धि देखी गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें राज्य सरकारों की दृढ़ प्रतिबद्धता दायित्व के कारण संख्या में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाभार्थियों की घटती संख्या के संबंध में, उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत संशोधित योजना दिशानिर्देशों में छात्रों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियानों की परिकल्पना की गई है।

इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं सरकारी स्कूलों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती हैं और लाभार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या
2017-18	2282254	1430568
2018-19	2630366	1449239
2019-20	2809542	1451369
2020-21	3068876	1345904
2021-22	3479969	1504305 (अनुमानित)

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या
2017-18	5925544	1932627
2018-19	6029970	1967029
2019-20	5280189	2066667
2020-21	6237819	1951614
2021-22	5273357	2076174 (अनुमानित)

इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-एक** में दिया गया है।

समिति की टिप्पणियाँ

2.3 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.7 देखें

सिफारिश संख्या-3

2.4 समिति ने यह नोट किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के

लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि 10 महीनों के लिए डे स्कॉलर्स और हास्टलर्स के लिए क्रमशः 225 रुपये और 525 रुपये है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुस्तकों के लिए और डेस्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए तदर्थ अनुदान के रूप में क्रमश 750 रुपये और 1000 रुपये प्रति वर्ष की राशि भी वितरित की जाती है। डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए क्रमशः 13500 रुपये और 7000 रुपये वार्षिक है डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 9500 रुपये और 6500 रुपये वार्षिक हैं, 'स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 6000 रुपये और 3000 रुपये वार्षिक हैं और सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (पोस्ट क्लास X स्तर) के लिए गैर-डिग्री पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 4000 रुपये और 2500 रुपये वार्षिक हैं। इसी प्रकार डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 1200 रुपये और 550 रुपये मासिक है, डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 820 रुपये और 530 रुपये मासिक हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रमश: डे स्कालर्स और हॉस्टलर्स के लिए क्रमशः 570 रुपये और 300 रुपये मासिक हैं और सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (पोस्ट क्लास X स्तर) के लिए गैर-डिग्री पाठ्यक्रम क्रमशः डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए 380 रुपये और 230 रूपये मासिक है। यह सूचित किया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2020 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करने के लिए लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी दिए गए वर्ष में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर की शिक्षा की मूल लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा किया जा सके। समिति आगे यह सिफारिश करना चाहती है कि संवितरित छात्रवृत्ति की राशि की समीक्षा करने और उस वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान शिक्षा की बढ़ी हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वार्षिक रूप से संशोधन की सिफारिश करने के लिए वार्षिक आधार पर राज्य स्तर पर समिति के गठन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। राज्य स्तरीय

समिति को इसके अनुसरण में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया जाए। समिति यह उल्लेख करना चाहती है कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थी आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे होते हैं और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि कमजोर होती है। छात्रवृत्ति राशि केवल एकमात्र चीज है जो उन्हें सहारा देती है और आर्थिक रूप से विषम परिदृश्य में शिक्षा प्राप्त करने की आशा प्रदान करती है। इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि दोनों योजनाओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए ताकि चल रही मुद्रास्फीति दरों के बराबर रखा जा सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने पर विचार करें. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं और यह उचित समय है। कि स्कूली बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे भी शिक्षा प्राप्त कर सके।

सरकार का उत्तर

2.5 योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को हाल ही में क्रमशः वर्ष 2020-21 और 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कैबिनेट की मंजूरी से संशोधित किया गया है। हालांकि, मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए, दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के शैक्षणिक भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के दो घटक हैं, पहला, स्कूलों/कॉलेजों को देय ट्यूशन फीसस और अन्य शुल्क और दूसरा, छात्रों को देय मासिक वृत्तिका। स्कूलों और कॉलेजों को देय शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है और शुल्क घटक में किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए छात्रों को देय मासिक वृत्तिका को ईएफसी, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

समिति की टिप्पणियाँ

2.6 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.13 देखें

सिफारिश सं. 4

2.7 समिति का यह मत है कि अभिभावक की आय सीमा की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये. की है, जिसे जीवन यापन की वर्तमान लागत और आर्थिक विकास दर को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाना चाहिए। समिति यह नोट करके निराश है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए समान मापदण्ड लागू नहीं किए गए हैं। समिति मंत्रालय की इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई की निंदा करना चाहती है। समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा बढ़ाने से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। इससे प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। यह कदम निश्चित रूप से बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करेगा। इसके अतिरिक्त, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग को मूर्त रूप दिया जाएगा क्योंकि योजना के दायरे के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। समिति यह समझती है कि सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अभिभावक की आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने तथा इसे ईडब्ल्यूएस / ओबीसी छात्रों के बराबर लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। समिति इस प्रकार यह सिफारिश करना चाहती है कि अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा पूरी ईमानदारी से विचार किया जाए अन्यथा पात्र लाभार्थियों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना एक दूर का सपना साबित होगा। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में अनुमानित वृद्धि की तुलना में अभिभावक की आय सीमा बढ़ाने के बाद वित्तीय निहितार्थ का पता लगाया जाए। तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन में वृद्धि की मांग कर सकता है।

सरकार का उत्तर

2.8 ओबीसी/ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत, छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता की आय सीमा केवल पीएमएस-एससी के बराबर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को हाल ही में क्रमशः वर्ष 2020-21 और 2021-22 में वित्त वर्ष 2025-26 तक योजना के सभी पहलूओं पर विचार करने के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ संशोधित किया गया है।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर, छात्रों के कल्याण के लिए समान योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों के अनुरूप रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है जहां परिवार की आय के मानदंड, छात्रवृत्ति की पात्रता, योजना की पहुंच, छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण आदि के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की समान योजनाओं की जांच की जा रही है।

समिति की टिप्पणियाँ

2.9 **कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.16 देखें**

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

सिफारिश संख्या 2

समिति का समेकित मत है कि मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि इससे उन लोगों को लाभ होने की सबसे अधिक संभावना है जो इसके बारे में जागरूक हैं। इन समुदायों में सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े परिवारों को इस योजना से लाभान्वित होने की संभावना कम है यदि योजना के बारे में जागरूकता का स्तर कम रहता है। कई बार, अधिकांश लाभार्थियों को पूर्व-मैट्रिक/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। समिति का मानना है कि स्कूल स्तर पर इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी की स्पष्ट कमी अभी भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में जारी है जो लक्षित समूहों तक मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की पहुंच को प्रभावित करती है। यहां तक कि इच्छुक छात्र भी समय पर प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के अवसर को खो देते हैं क्योंकि उन्हें प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रवेश शुल्क और पाठ्यक्रम/ट्यूशन शुल्क घटकों के बारे में जानकारी नहीं होती है। लाभार्थियों में कभी-कभी मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति राशि के संवितरण के तरीकों और मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के नवीकरण की प्रक्रियाओं की जानकारी का समान रूप से अभाव होता हैं। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि चूंकि स्कूल/शैक्षिक संस्थान जहां लक्षित लाभार्थियों का नामांकन किया गया है, संबंधित सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रियाओं (वरीयता और चयन मानदंडों सहित) और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, चयन प्रक्रिया और मानदंडों चयनित छात्रों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ स्कोर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। एक बार इस तरह की गुप्त जानकारी के लिए स्कूल और शिक्षक अपने संरक्षण में छात्रों को इसे सांझा कर सकते हैं ताकि सभी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि केन्द्र को सभी राज्य सरकारों को नवोदय विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों के साथ मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण ब्योरे साझा करने का निदेश देना चाहिए ताकि इसे नियमित

आधार पर पात्र छात्रों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जागरूकता के परिमाण को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यह स्कूल जाने वाले किशोरों का ध्यान आकर्षित करने में बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। समिति ने नोट किया है कि मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें लाभार्थियों को प्रवेश के समय योजना में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सुविधा केंद्र खोलना, छात्रवृत्ति पोर्टलों का विकास करना और क्षेत्र निरीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि करना शामिल है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्र को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट आमंत्रित करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

3.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे:

(i) प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नियमित विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं।

(ii) योजना के बारे में जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया मंचों जैसे ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से फैलाई जाती हैं।

(iii) मंत्रालय/विभाग के अधिकारी नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं और विभिन्न संस्थानों में छात्रों के साथ बातचीत भी करते हैं। इसके अलावा, एआईसीटीई और यूजीसी और राज्यों भर के विभिन्न विश्वविद्यालय उचित जागरूकता उद्देश्यों के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं।

इसके अलावा, योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से जागरूकता सृजन/पहचान कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को गरीब अनुसूचित जाति के सर्वाधिक छात्रों की पहचान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए सबसे गरीब छात्रों की पहचान के लिए सबसे पहले अनुसूचित जाति बहुल जिलों/ब्लॉकों/गांवों को लिया

जा सकता है या दसवीं या बारहवीं कक्षा छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग या अन्य केंद्रीय / राज्य योजनाओं से उत्पन्न होने वाले आकड़े जो स्कूल छोड़ने वालों की दर को या अन्य स्रोतों को दर्शाते हों, से पता लगाया जा सकता है।

- प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार को हर साल मार्च/अप्रैल में अनुसूचित जाति के छात्रों की पहचान करने और नामांकन करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें परामर्श देने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रों को उनके कौशल के अनुसार पाठ्यक्रमों की पहचान करने में भी मदद की जाएगी।

- इस योजना के बारे में राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम पंचायत के सूचना पटल, स्कूल समितियों और माता-पिता-शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा और अन्य जन जागरूकता उपायों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार का न्यूनतम दुरूपयोग हो।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए नामांकन के लिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करके एक व्यवस्थित अभियान चलाकर छात्रों की पहचान करने की आवश्यकता है और बारहवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ गए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पारदर्शिता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और छात्रवृत्ति भुगतान को शीघ्रता से संसाधित करने के लिए योजना को ऑनलाइन लागू करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रमुख समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित करते हैं। लगभग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो अपने स्वयं के पोर्टल के माध्यम से या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, 18 राज्यों ने आवेदन आमंत्रित करने और छात्रवृत्ति के प्रसंस्करण, चयन और संवितरण का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के पोर्टल विकसित किए हैं। इन सभी राज्यों के पास स्थानीय भाषाओं में अपना पोर्टल है। ऐसे 13 छोटे राज्य हैं जिन्होंने अपना स्वयं का पोर्टल विकसित नहीं किया है लेकिन एनएसपी के माध्यम से योजना को लागू कर रहे हैं। एनएसपी वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी में है। समिति के निर्देशानुसार पोर्टल को अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए मामले को एनएसपी/एनआईसी के समक्ष उठाया गया है।

विभिन्न राज्यों की प्रगति/प्रस्तावों की समीक्षा के संबंध में, (i) प्रगति/निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें बुलाई गई हैं। (ii) उक्त मंत्रालय द्वारा संशोधित योजना को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी टीमों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और (iii) मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर-दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय टीम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करती है।

योजनाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि संशोधित योजना दिशानिर्देशों में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक मजबूत आईटी ढांचे की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, शेयरिंग पैटर्न को भी निश्चित प्रतिबद्ध दायित्व की अवधारणा से बदलकर 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) केंद्र-राज्य अनुपात कर दिया गया है। जहां तक केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों के साथ मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण साझा करने के लिए सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निर्देश देने की समिति की सिफारिश है, योजनाओं के नोडल मंत्रालयों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाने हैं।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निधियों में वृद्धि के समिति के अवलोकन के संबंध में, यह उल्लेख करना समीचीन होगा है कि दोनों योजनाएं ओपन एंडेड और मांग आधारित योजनाएं हैं जिसमें सभी पात्र लाभार्थी जिनके आकड़ों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित किया गया है, को बिना किसी ऊपरी सीमा के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संशोधित दिशानिर्देश एक ऐसी प्रणाली प्रदान करते हैं जिसमें छात्र, राज्य के पोर्टल/एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अंतिम सत्यापित आवेदनों के आधार पर केंद्रीय शेयर जारी किया जाता है। वर्तमान में, सभी पात्र लाभार्थी, जिनके अंतिम रूप से सत्यापित डेटा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गए हैं, उन्हें धन की कमी के कारण केंद्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है।

इन छात्रवृत्तियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, के.वि.सं. द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए निम्नलिखित पहल भी की जा रही हैं:

i. केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों को हर साल एनएसपी पोर्टल में पंजीकरण करने और योग्य छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। दिनांक 04.09.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों को इस संबंध में नवीनतम निर्देश **(अनुबंध-तीन)** जारी किए गए हैं।

ii. केंद्रीय विद्यालयों को छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जिला प्रशासकों के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

iii. छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करने के लिए विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

iv. केन्द्रीय विद्यालयों को नोटिस बोर्ड और विद्यालय पुस्तकालय में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं, दिशानिर्देशों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

v. माता-पिता की जागरूकता के लिए माता-पिता शिक्षक बैठक (पीटीएम) में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

सरकार द्वारा के.वि.सं. के छात्रों को प्रदान की जाने वाली मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-चार** में है।

समिति की टिप्पणियाँ

3.3 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.10 देखें।

अध्याय – चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

अध्याय – पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य -

नई दिल्ली;
24 मार्च, 2023
4 चैत्र, 1945 (शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के
कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

1. सिफारिशों की कुल संख्या 04

2. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिए सिफारिश क्रम सं. 1, 3 और 4).....03
   कुल का प्रतिशत 75%

3. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती। (देखिए सिफारिश क्रम सं. 2).....01
   कुल का प्रतिशत 25%

4. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है..... शून्य

5. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं..... शून्य

परिशिष्ट एक

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
(2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

EIGHTEENTH SITTING
(23.03.2023)

MINUTES

The Committee sat from 1000 hrs. to 1100 hrs. in Committee Room No. 53, first floor, Parliament House , New Delhi-110001

PRESENT
Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Guman Singh Damor
4. Shri Tapir Gao
5. Shri Rattan Lal Kataria
6 Shri Chhedi Paswan
7. Smt. Sandhya Ray
8. Shri Jagannath Sarkar
9. Shri Ajay Tamta

RAJYA SABHA

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shri Kamakhya Prasad Tasa

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 SHri P.C. Choulda, Director
3 Shri. Mohan Arumala, Under Secretary

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. The Committee then considered the following draft report(s):

i. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirtieth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Examination of Annual Reports of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) presented under Article 338(5)(d) of the Constitution of India and the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Government".

ii. "Review of Functioning of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)."

iii. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Role of autonomous bodies/educational Institutions including Central Universities,

Engineering Colleges, IIMs, IITs, Medical Institutes etc. in socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with special reference to pre-matric/post-matric scholarships in Navodaya Vidyalayas/Kendriya Vidyalayas."

2. After due consideration, the Committee adopted the aforementioned Report(s) without any modification. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report to both the Houses of Parliament during the ongoing Session of the Parliament.

The sitting of the Committee then adjourned.

अनुबंध क

The States/UTs wise details of SC beneficiaries who received Post-Matric Scholarship during the last five years are as follows:

Sl No.	State/UT	Number of beneficiaries for Last Five Years				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	Andhra Pradesh	658534	660193	369316	469000	3,37,979
2.	Assam	23874	7606	6668	17944	8,616
3.	Bihar	89213	96189	109869	153787	1,23,679
4.	Chandigarh	2203	1086	NR	NR	1,126
5.	Chhattisgarh	95565	104900	96362	105994	1,12,753
6.	Daman & Diu	NR	NR	NR	NR	93
7.	Delhi	20100	14057	19508	22500	5,243
8.	Goa	280	280	NR	NR	NR
9.	Gujarat	131169	127102	131284	140000	1,48,296
10.	Haryana	123062	123062	91438	NR	51,416
11.	Himachal Pradesh	33057	24949	20758	22836	21,335
12.	Jammu & Kashmir	11040	7159	11995	NR	10,101
13.	Jharkhand	20177	22629	24038	28010	40,688
14.	Karnataka	322606	302286	330000	152311	3,50,178
15.	Kerala	132286	146998	NR	119575	1,21,789
16.	Madhya Pradesh	361268	361268	339676	476050	4,11,223
17.	Maharashtra	540993	426506	325856	346330	2,17,118
18.	Manipur	6566	5516	8163	8255	5,931
19.	Odisha	202125	202917	169666	174756	2,09,277
20.	Puducherry	6241	6241	NR	7177	3,761
21.	Punjab	274730	200553	NR	186354	1,89,672
22.	Rajasthan	191184	339157	457915	503707	3,88,332
23.	Sikkim	361	387	464	442	447
24.	Tamil Nadu	761114	761114	611434	825000	6,60,155
25.	Telangana	212706	272169	220381	286495	0
26.	Tripura	14652	16982	17992	17672	21,149
27.	Uttar Pradesh	1238139	1274740	1360376	1450000	12,39,853
28.	Uttarakhand	69504	73920	38077	45692	27,584
29.	West Bengal	382795	450004	518953	677932	5,65,563
Total		**5925544**	**6029970**	**5280189**	**6237819**	**52,73,357**

The States/UTs wise details of SC beneficiaries who received Pre-Matric Scholarship during the last five years are as follows:

Sl. No.	State/UT	No of Beneficiaries under Component-I				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	Andhra Pradesh	NR	NR	223722	236337	231340
2.	Assam	NR	NR	720	912	0
3.	Bihar	491564	480497	0	531536	558113
4.	Chandigarh	2569	2268	1500	1000	1634
5.	Chhattisgarh	NR	84747	88138	0	0
6.	Daman & Diu	119	NR	119	46	51
7.	Delhi	204	39	14643	16500	55000
8.	Goa	NR	NR	0	200	100
9.	Gujarat	NR	73716	61052	56684	63000
10.	Haryana	147104	NR	147104	0	0
11.	Himachal Pradesh	27079	NR	20665	15458	18641
12.	Jammu & Kashmir	NR	1093	4978	891	6000
13.	Jharkhand	41305	45992	44352	38015	47720
14.	Karnataka	NR	222775	260732	323332	339499
15.	Kerala	75728	NR	75728	59312	74527
16.	Madhya Pradesh	NR	NR	323545	31863	341082
17.	Maharashtra	NR	NR	74365	0	0
18.	Manipur	1367	1149	1379	485	2099
19.	Meghalaya	NR	NR	0	0	0
20.	Odisha	217746	183072	171450	153073	168385
21.	Puducherry	8735	NR	2693	4000	4550
22.	Punjab	205791	228633	0	217729	196843
23.	Rajasthan	NR	233651	168095	203083	240500
24.	Sikkim	230	127	152	118	131
25.	Tamil Nadu	284495	256720	257855	278838	305073
26.	Telangana	41088	NR	15423	9051	41350
27.	Tripura	14385	15823	3585	4592	10222
28.	Uttar Pradesh	NR	531589	541551	362511	500000
29.	Uttarakhand	421000	NR	22492	26990	17363
30.	West Bengal	301845	268475	283504	209552	256746
Total		**2282254**	**2630366**	**2809542**	**3068876**	**3479969**

Annexure - 2

Details of Beneficiaries to State Governments/UT Administrations under the Scheme of Pre-Matric Scholarship for ST students

Sl.No.	Name of the State/UT	F.Y. 2016-17	F.Y. 2017-18	F.Y. 2018-19	F.Y. 2019-20	F.Y. 2020-21	F.Y. 2021-22
1	Andaman & Nicobar	325	353	222	247	278	450
2	Andhra Pradesh	39466	34529	27437	28124	26676	29345
3	Arunachal Pradesh	2594	0	0	0	5849	6800
4	Assam	2740	10040	12933	2869	2710	7827
5	Bihar	0	67115	46096	46096	55198	
6	Chhattisgarh	207956	191864	194413	143986	134262	138236
7	Dadar Nagar Haveli & Daman & Diu	0	-	-	-	3848	2402
8	Dadar & Nagar Haveli		5226	4399	5044	-	-
9	Daman & Diu	356	468	332	377	-	-
10	Goa	3721	3640	3582	3332	2504	2600
11	Gujarat	188593	151113	124491	180123	160037	146527
12	Himachal Pradesh	1972	1705	3582	2709	1846	2160
13	Jammu & Kashmir	6131	4979	25920	0	11470	
14	Jharkhand	92743	104942	119877	106761	83511	91862
15	Karnataka	52096	59448	62126	87364	72626	92742
16	Kerala	14464	14265	12121	7858	9880	10538
17	Ladakh		-	-	-	421	840
18	Madhya Pradesh	151611	362120	359092	318870	314356	367454
19	Maharasthra	0	**	**	**	**	**
20	Manipur	22401	9189	21006	24760	2557	3038
21	Meghalaya	3273	966	150	136	616	2673
22	Mizoram	9843	9783	14880	16890	11046	12291
23	Nagaland	18780	10715	12553	1500	446	
24	Odisha	222837	211425	204916	219875	173833	272534
25	Puducherry		**	**	60	19	38
26	Rajasthan	0	101696	136915	184163	215040	214984
27	Sikkim	297	212	247	415	414	296
28	Tamil Nadu	6602	12676	12800	13423	14822	16299
29	Telangana	28966	6196	354	5570	856	30077
30	Tripura	16723	11662	12353	10980	9404	17544
31	Uttar Pradesh	0	-	-	-	0	3528
32	Uttarakhand	5687	6256	2572	2504	1329	
33	West Bengal	29249	37985	33870	37333	30050	31220
	Total	1129426	1430568	1449239	1451369	1345904	1504305

Beneficiaries (As per SoE/Proposal by States/UTs)

** Scheme implemented by State Government without Central Assistance.

22-33/2021-UT-2

1138420/2022/UT.2 Section

Details of Beneficiaries to State Governments/UT Administrations under the Scheme of Post-Matric Scholarship for ST students

(₹ in lakh)

Sl.No.	Name of the State/UT	F.Y. 2016-17	F.Y. 2017-18	F.Y. 2018-19	F.Y. 2019-20	F.Y. 2020-21	F.Y. 2021-22
1	Andaman & Nicobar	167	544	439	447	312	550
2	Andhra Pradesh	65173	71687	59146	158195	71820	67903
3	Arunachal Pradesh	22564	18863	26000	20500	31916	38301
4	Assam	29423	26867	79526	55507	54846	85716
5	Bihar	0	9950	12544	13938	19513	
6	Chhattisgarh	135586	143320	154656	144453	140163	173228
7	Dadar Nagar Haveli & Daman & Diu	-	-	-	-	3549	3352
8	Dadar & Nagar Haveli		3720	2115	5618	-	-
9	Daman & Diu	328	196	192	351	-	-
10	Goa	1924	4442	5847	5870	4833	6035
11	Gujarat	192322	214605	198557	202667	202413	200397
12	Himachal Pradesh	3739	10747	4729	3009	5121	3332
13	Jammu & Kashmir	13854	16905	27900	10685	4940	8264
14	Jharkhand	82422	73385	76782	79823	78755	94506
15	Karnataka	109943	101059	111614	118083	129094	118042
16	Kerala	15834	16111	16245	16583	15820	16385
17	Ladakh	-	-	-	-	8200	8500
18	Madhya Pradesh	263176	272714	289095	244126	279722	322678
19	Maharashtra	163321	147262	131000	139550	157503	105693
20	Manipur	59995	59661	22644	30969	39787	51042
21	Meghalaya	54900	35305	634	6159	16399	58443
22	Mizoram	42072	51983	47948	38174	33798	39442
23	Nagaland	44404	28949	38380	40164	37183	40744
24	Odisha	176579	185888	196667	171532	155309	154347
25	Puducherry	**	**	**	23	22	50
26	Rajasthan	126965	135523	269659	286652	206011	188614
27	Sikkim	2605	2962	4299	4431	3488	4475
28	Tamil Nadu	23574	21605	29622	29478	20324	24387
29	Telangana	112236	153845	58253	129243	118347	126708
30	Tripura	21001	23020	22896	23720	26092	35921
31	Uttar Pradesh	5322	2779	15086	17984	19782	18938
32	Uttarakhand	15401	8335	6133	6499	8396	9235
33	West Bengal	85901	90395	58421	62234	58156	70946
	Total	1870731	1932627	1967029	2066667	1951614	2076174

Note - Beneficiaries (As per SoE/Proposal by States/UTs)

अनुबंध ख

The details of fund released to various States/UTs under Post Matric Scholarships Scheme for SCs for the last five years are as under:

Sl No.	State/UT	CA Released in 2017-18 (Rs In Crores)	CA Released in 2018-19 (Rs In Crores)	CA Released in 2019-20 (Rs In Crores)	CA Released in 2020-21 (Rs In Crores)	Central Share released in 2021-22 (Rs In Crore)
1.	Andhra Pradesh	317.43	90.00	287.67	450.01	416.65
2.	Assam	0.00	15.00	0.00	18	6.88
3.	Bihar	0.00	0.00	0.00	47.83	31.16
4.	Chandigarh	1.46	7.97	0.00	0	2.29
5.	Chhattisgarh	39.02	3.23	3.27	38.54	39.76
6.	Daman & Diu	0.00	0.00	0.00	0	0.1823
7.	Delhi	0.00	7.02	1.97	0	7.51
8.	Goa	0.15	0.00	0.00	0	
9.	Gujarat	143.40	180.55	0.00	170.32	235.92
10.	Haryana	0.00	58.09	0.00	0	80.45
11.	Himachal Pradesh	74.25	53.25	0.00	11.35	17.41
12.	Jammu & Kashmir	13.63	0.00	0.00	0	5.41
13.	Jharkhand	8.93	17.23	0.00	13.42	21.60
14.	Karnataka	395.47	29.18	121.47	252.79	266.66
15.	Kerala	83.91	0.00	9.80	86.85	74.85
16.	Madhya Pradesh	230.43	0.00	0.00	319.4	249.56
17.	Maharashtra	504.98	1433.92	0.00	558	422.35
18.	Manipur	7.51	7.54	7.94	6.89	4.79
19.	Meghalaya	0.00	0.00	0.00	0	-
20	Odisha	47.48	208.91	140.71	130.67	229.24
21.	Puducherry	0.00	0.00	0.00	2.21	3.48
22.	Punjab	115.73	631.31	206.47	191.58	267.23
23.	Rajasthan	329.23	77.68	314.54	284.01	238.02
24.	Sikkim	0.00	1.04	1.04	0.8135	0.7622
25.	Tamil Nadu	434.48	1407.38	925.84	120.23	625.51
26.	Telangana	140.24	0.00	0.00	245.03	0
27.	Tripura	19.92	25.97	35.42	30.37	36.56
28.	Uttar Pradesh	254.20	1672.88	655.16	892.36	843.73
29.	Uttarakhand	39.69	0.00	0.00	9.76	12.48
30.	West Bengal	212.57	0.00	0.00	128.17	131.20
Total		**3414.09**	**5928.15**	**2711.30**	**4008.60**	**4271.78**

The details of fund utilization by various States/UTs under Pre Matric Scholarships for SCs and Others (Component-I) for the last five years are as under:

Sl. No.	States/UTs	Released Central Share under component-I				
		Central Share released in 2017-18 (Rs in lakh)	Central Share released in 2018-19 (Rs in lakh)	Central Share released in 2018-19 (Rs in lakh)	Central Share released in 2019-20 (Rs in lakh)	Central Share released in 2020-21 (Rs in lakh)
1.	Andhra Pradesh	-	-	-	4944	5089
2.	Assam	-	-	-	-	NR
3.	Bihar	-	-	5550	-	7534
4.	Chandigarh	18.98	-	27	-	36
5.	Chhattisgarh	-	-	1041	-	NR
6.	D&N Haveli	-	-	-	-	NR
7.	Daman & Diu	2.68	-	-	0.83	NR
8.	Delhi	2.36	-	268	291	699
9.	Goa	-	-	-	3.6	NR
10.	Gujarat	-	-	1440	1044	1118
11.	Haryana	1500	-	368	-	NR
12.	Himachal Pradesh	143.01	-	-	408	374
13.	Jammu & Kashmir	-	-	70	260	23
14.	Jharkhand	-	1634	676	659	420
15.	Karnataka	-	-	3691	6230	7658
16.	Kerala	-	-	19	1368	1074
17.	Madhya Pradesh	-	-	406	7784	4475
18.	Maharashtra	-	-	-	-	-
19.	Manipur	38.92	-	45	-	38
20.	Meghalaya	-	-	-	-	-
21.	Odisha	1849.79	996	2590	3512	2871
22.	Puducherry	196.53	-	-	27	82
23.	Punjab	1843	-	3029	2743	3551
24.	Rajasthan	-	3075	3323	3827	3673
25.	Sikkim	5.74	-	4	5	2
26.	Tamil Nadu	-	-	-	5018	5394
27.	Telangana	-	-	-	-	221
28.	Tripura	55.34	259	469	-	30
29.	Uttar Pradesh	-	2706	9075	12096	3732
30.	Uttarakhand	325.53	-	344	143	469

31.	West Bengal	300.12	2870	2854	6540	2371
Total		**6282**	**11540**	**35289**	**56903**	**50934**

*During 2021-22, Central Share was released after the adjustment of the pending amount with the States/UTs of the FY 2020-21. So, at present it is not possible to provide the exact amount used by the States/UTs.

22-33/2021-UT-2

1138420/2022/UT.2 Section

Details of Fund Released to State Governments/UT Administrations under the Scheme of Pre-Matric Scholarship for ST students

(₹ in lakh)

Sl.No.	Name of the State/UT	F.Y. 2016-17	F.Y. 2017-18	F.Y. 2018-19	F.Y. 2019-20	F.Y. 2020-21	F.Y. 2021-22
1	Andaman & Nicobar	0.00	0.00	5.00	5.62	12.33	8.03
2	Andhra Pradesh	0.00	5282.94	1210.81	736.32	1433.81	3935.06
3	Arunachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.30
4	Assam	321.33	0.00	0.00	0.00	17.27	102.19
5	Bihar	0.00	0.00	0.00	7131.47	0.00	-
6	Chhattisgarh	2534.15	1805.30	4755.63	4796.94	3541.54	-
7	Dadar Nagar Haveli & Daman & Diu	0.00	-	-	-	234.00	206.62
8	Dadar & Nagar Havel	-	0.00	20.00	38.49	-	-
9	Daman & Diu	0.00	8.04	0.00	5.89	-	-
10	Goa	52.64	3.75	80.83	80.56	41.35	
11	Gujarat	80.81	3650.84	4482.31	5248.34	2198.84	3689.18
12	Himachal Pradesh	51.21	0.00	38.91	83.92	91.87	
13	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Jharkhand	0.00	1704.53	2345.92	1514.49	0.00	3899.03
15	Karnataka	0.00	1364.59	1256.31	1846.92	0.00	1753.16
16	Kerala	796.40	0.00	308.73	287.31	116.56	347.07
17	Ladakh	-	-	-		42.27	74.22
18	Madhya Pradesh	0.00	5539.17	5884.33	7698.90	5429.34	11458.18
19	Maharasthra	0.00	**	**	**	**	**
20	Manipur	867.38	619.09	773.00	443.33	0.00	
21	Meghalaya	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00	
22	Mizoram	336.36	132.25	319.79	702.21	167.86	657.47
23	Nagaland	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	
24	Odisha	3376.36	5134.98	6665.88	6157.65	6944.96	5236.75
25	Puducherry		**	**		1.63	
26	Rajasthan	0.00	3284.79	1716.12	5346.97	3126.90	6234.34
27	Sikkim	0.00	25.72	7.97	3.57	9.41	
28	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	589.74	241.00	546.55
29	Telangana	0.00	358.02	693.84	0.00	0.00	-
30	Tripura	0.00	232.89	0.00	386.18	252.09	58.55
31	Uttar Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
32	Uttarakhand	0.00	104.44	0.00	0.00	138.24	
33	West Bengal	0.00	0.00	584.62	894.18	788.22	912.51
	Total	8416.64	29408.03	31150.00	43999.00	24890.24	39414.37

** Scheme implemented by State Government without Central Assistance.

22-33/2021-UT-2

1138420/2022/UT.2 Section

Details of Fund Released to State Governments/UT Administrations under the Scheme of Post-Matric Scholarship for ST students

(₹ in Lakh)

Sl.No.	Name of the State/UT	F.Y. 2016-17	F.Y. 2017-18	F.Y. 2018-19	F.Y. 2019-20	F.Y. 2020-21	F.Y. 2021-22
1	Andaman & Nicobar	0.00	0.00	10.09	11.34	13.29	10.35
2	Andhra Pradesh	9777.62	8269.11	13945.02	7797.07	6039.35	8991.45
3	Arunachal Pradesh	1136.32	5803.65	1883.82	6113.41	5712.96	12360.50
4	Assam	266.65	2516.48	3248.03	4867.20	5413.54	1093.40
5	Bihar	0.00	71.25	0.00	1525.43	708.22	-
6	Chhattisgarh	2674.82	3811.26	4609.57	7022.69	8790.24	-
7	Dadar Nagar Haveli & Daman & Diu	-	-	-	-	3481.73	-
8	Dadar & Nagar Haveli	0.00	0.00	0.00	88.66	-	-
9	Daman & Diu	53.63	26.19	3.41	0.00	-	-
10	Goa	645.00	364.80	536.26	732.79	458.18	
11	Gujarat	22040.27	14609.74	32429.12	14004.48	22977.64	46170.25
12	Himachal Pradesh	931.36	3123.36	278.15	2468.81	0	
13	Jammu & Kashmir	2587.84	2322.56	637.93	1048.29	805.44	
14	Jharkhand	8148.39	2716.50	5281.32	7862.86	0	12654.88
15	Karnataka	8540.00	8873.31	7341.33	15003.43	0	17080.51
16	Kerala	3122.00	2745.46	2674.37	1641.52	3285.25	2516.49
17	Ladakh	-	-	-	-	738	2214.00
18	Madhya Pradesh	13054.00	10320.50	13405.24	12198.58	12344	24529.43
19	Maharashtra	22092.28	10884.91	15238.15	15575.38	18149.52	19214.82
20	Manipur	3385.20	6382.55	2026.76	6235.55	2184.19	4292.15
21	Meghalaya	3189.00	770.50	2457.52	0.00	0	2636.09
22	Mizoram	4267.52	2434.73	3528.21	4415.78	3446.82	3874.64
23	Nagaland	1344.00	2515.00	4716.66	3268.73	3226.37	4435.75
24	Odisha	15556.48	8784.18	14801.92	16640.15	19095.97	21842.98
25	Puducherry	**	**	**	0.00	19.56	
26	Rajasthan	9800.00	19912.49	13598.95	25950.52	25557.03	13744.70
27	Sikkim	938.16	1247.32	1134.36	566.80	553.83	1036.28
28	Tamil Nadu	3061.85	2440.39	3933.65	5025.19	3328.99	4849.38
29	Telangana	11483.00	18031.25	9921.68	19610.60	27297.83	7503.90
30	Tripura	1323.90	2756.25	3626.55	2355.78	4804.98	7188.77
31	Uttar Pradesh	1057.50	1244.91	1210.54	1822.71	2218.67	
32	Uttarakhand	5090.57	600.25	0.00	0.00	0	3568.37
33	West Bengal	0.00	2807.89	2219.39	2411.00	2256.42	3872.05
	Total	155567.36	146386.79	164698.00	186264.75	182908.02	225681.13

** Scheme implemented by State Government without Central Assistance.

ANNEXURE – I
अनुबंध- ग

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली /Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.11029/16/2022-23/KVS(HQ)/Acad/Scholarship-I/ Date: 04.09.2022

The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices

Sub: Pre -Matric & Post- Matric scholarship - reg.

Madam/Sir,

As you are aware that Pre-matric and Post-matric Scholarships for SC & ST students are run by the Government of India and the state governments in helping students pursue their studies at different levels. The centrally-funded scholarships are sponsored by the Government of India and disbursed through different states while the state-funded scholarships are sponsored and disbursed by respective state governments only. SC/ST Scholarship offers suitable financial assistance to SC/ST candidates at both pre-matric and post-matric levels of study.

It is pertinent to sensitize the students from SC & ST about the eligibility and guidelines for pre matric and post matric scholarship schemes. Principal of the KVs may be informed to conduct sensitization programme in the Vidyalaya and entrust a teacher who will also coordinate with all stakeholders. The teacher In-charge and students may be informed about the National Scholarship Portal (NSP) at www.scholarships.gov.in and various scholarships available apart from pre-matric and post-matric scholarships. Eligible students may apply for the scholarship on the National Scholarship Portal. The latest guidelines and FAQs available on the portal may be shared with the students and displayed on the Notice Board and in Vidyalaya Library.

All KVs be asked to register the institution details in the scholarship portal www.scholarships.gov.in as per modalities given in the portal, if it has not been registered so far and update the same from time to time. Institutional verification may be done after submission of applications from eligible students for sanction of the scholarship.

It is requested that Principal of Kendriya Vidyalayas under the Region may be informed to maintain scheme wise and category wise data of scholarship beneficiaries in the respective Vidyalaya and the same data may be collected by the Regional Office for submission to this office as and when required.

Yours faithfully,

(N.R.Murali)
Joint Commissioner (Acad.)

Enclosure- As above

अनुबंध घ

Annexure-II (1/2)

Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQs)

Details of Pre-Matric Scholarship scheme provided to students of KVS by Govt

S.No.	Name of State/UT	2017-18				2018-19				2019-20				2020-21				2021-22			
		No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST) as on 31.01.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	A&N Island	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	105	0	94500	0	57	0	114750	0	14	0	0	0	15	0	0
4	Assam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Bihar	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chhattisgarh	89	28	41520	39130	88	54	7000	3110	312	112	203000	90500	188	50	107800	70050	90	65	4000	2600
8	Dadra Nagar Haveli	0	0	0	0	1	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1200	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	10	0	30000	0	7	0	21000	0	132	0	196225	0	162	0	201000	0	18	0	1000	0
11	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gujarat	60	43	38130	27320	97	75	106400	104900	312	224	435300	291250	322	235	411500	395100	209	170	204800	177600
13	Haryana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	J & K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Karnataka	105	38	262000	136150	312	121	400600	181100	200	204	190000	228900	98	60	102300	62900	98	84	16500	13350
18	Kerala	6877	889	9999913	7365805	4000	3298	10000000	4487848	4000	3582	10000000	7826619	4000	3321	11360200	5173531	4065	2241	4232111	1232024
19	Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	207	89	750000	310000	186	43	435000	346000	200	0	0	0
20	Lakshwadeep	0	124	0	438720	0	93	0	309960	0	76	0	546590	0	79	0	826869	0	79	0	872450
21	Madhya Pradesh	998	871	682300	330500	1230	601	838400	457350	649	362	568050	327037	629	376	1186250	621960	35	29	0	0
22	Maharashtra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	13000	0	0	0	0	0
23	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	15	0	0
24	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Odisha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14000	0	0	0	0	0
28	Puducherry	40	38	88200	50000	49	40	103000	79200	57	34	104500	75000	30	25	102000	72500	0	0	0	0
29	Punjab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rajasthan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tamilnadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Uttar Pradesh	1	0	3500	0	0	0	0	0	0	2	0	13200	0	3	0	24000	0	3	0	0
36	Uttrakhand	1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5000	4810	0	0	0	0
37	West Bengal	14	0	10500	0	24	0	19200	0	22	0	17600	0	21	0	16800	0	18	0	14400	0
	Total	8203	2031	11183063	8387625	5808	4387	11504600	5717968	5891	4743	12472675	9823846	5663	4229	13954850	7597720	4734	2702	4474011	2299024

Annexure-4 (2c)

Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQs)

Details of Post-Matric Scholarship Scheme provided to students of KVS by Ministries/Departments

S. No.	Name of State/UT	2017-18				2018-19				2019-20				2020-21				2021-22			
		No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST)	No. of Beneficiaries (SC)	No. of Beneficiaries (ST)	Amount received (In Rupees SC)	Amount received (In Rupees ST) as on 31.01.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	A&N Island	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	105	0	1230000	0	236	0	2125000	0	245	0	2125000	0	38	0	0
4	Assam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2850	0	0	1	0	4625
5	Bihar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chhattisgarh	7	0	10125	0	18	0	27720	0	25	0	46180	0	18	0	39240	0	17	0	0	0
8	Dadra Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	2	0	11000	0	0	0	0	0	13	10	50000	25350	28	20	175000	50100	5	0	0	0
11	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gujarat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15000	0	6	0	44520	0	0	0	0	0
13	Haryana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	J&K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Karnataka	4	0	60000	0	6	0	76100	0	0	0	0	0	1	0	10000	0	0	0	0	0
18	Kerala	200	158	720446	628122	200	54	2026276	320498	300	285	2620212	715238	366	236	2512121	1032521	388	210	261200	208400
19	Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	40	39	500200	210800	40	24	310000	266000	50	35	0	0
20	Lakshwadeep	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7200	0	4	0	69713	0	6	0	0
21	Madhya Pradesh	231	83	500400	122000	230	200	400000	384456	645	400	825820	321755	779	300	1051565	413575	42	0	96160	0
22	Maharashtra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	29	0	0
24	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Odisha	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14600	0	1	0	14600	0	28	0	224000	0
28	Puducherry	3	0	12000	0	3	0	12000	0	9	0	36000	0	5	0	312000	0	0	0	0	0
29	Punjab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
30	Rajasthan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Tamilnadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Uttar Pradesh	1	0	9500	0	2	0	19000	0	3	0	26200	0	4	0	33600	0	1	0	7200	0
36	Uttrakhand	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20000	0	5	0	43000	0	2	0	20000	
	Total	448	242	1323471	750122	459	359	2561096	1934954	1041	971	4164512	3405343	1254	867	4549396	3955909	533	319	608560	213025